राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर
प्रगति विवरण वर्ष 2021–22
(अक्टूबर, 2021 तक)

बोर्ड द्वारा मुख्यतया राज्य में कृषकों को कृषि उपज के विपणन हेतु आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने के लिए मण्डी प्रांगणों में विकास कार्य व फसलोत्तर प्रबंधन का कार्य सम्पादित किया जाता है। फसलोत्तर प्रबन्धन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन का कार्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

- राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणो के विकास हेतु परियोजनाएं तैयार कर स्वीकृत कराना एवं परियोजनाओं के अनुसार विकास कार्यों का कियान्वयन करना।
- कृषि उपज मण्डी समिति क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण भाग में सीमेन्ट कंक्रीट पेवमेन्ट (सड़क) एवं कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में सड़कों (मिसिंग लिंक) का निर्माण कार्य।
- राज्य के उत्पाद विशेष की बहुलता वाले क्षेत्रों में विशिष्ट मण्डियों की परियोजना तैयार कर उन्हें विकसित करना।
- फसलोत्तर प्रबन्धन संबंधी कार्यों हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।
- कृषि विपणन संबंधी कार्य कलापों का प्रचार–प्रसार।
- कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन निदेशालय एवं मण्डी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
- राज्य के किसानों की कल्याणकारी गतिविधियां संचालित किये जाने की दृष्टि से कृषक कल्याण कोष का संधारण
- राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में मण्डी समितियों को पुनर्भरण
- राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति–2019 का क्रियान्वयन
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना 2020 का क्रियान्वयन।

बोर्ड द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम/योजनाएं :

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019

राज्य के किसानों की आय में वृद्धि किये जाने एवं कृषि आधारित उधोगों के प्रोत्साहन की दृष्टि से राजस्थान कृषि प्रंसस्करण, कृषि व्यवसाय, एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, 2019 जारी की गई है। योजनान्तर्गत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 2 करोड़ रूपये तक के अनुदान का प्रावधान है।

वित्तीय प्रगति :–

क्र.सं.	वर्ष	व्यय (लाख रूपये)
1.	वर्ष 2019–20	**63.47**
2.	वर्ष 2020–21	**3715.53**
3.	वर्ष 2021–22 के दौरान अब तक	**4174.43**

भौतिक प्रगति :–

क्र. सं.	मद	ईकाई	उपलब्धि वर्ष 2020–21	उपलब्धि वर्ष 2021–22			विशेष विवरण
				गत माह तक	चालू माह	कुल योग	
1.	औद्योगिक इकाईयों को पूंजीगत अनुदान	औद्योगिक इकाईयों की संख्या	**263**	**173**	**40**	**213**	परियोजना निर्माणाधीन है। अनुदान तीन किश्तों में वितरित किया जाता है।
2.	औद्योगिक इकाईयों को ब्याज अनुदान	संख्या	–	–	–	–	पूंजीगत अनुदान प्राप्त इकाईयों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् देय होगा।
3.	औद्योगिक इकाईयों को विद्युत प्रभार/सौर ऊर्जा संयंत्र अनुदान	संख्या	0	0	–	0	उपरोक्तानुसार
4.	भाड़ा अनुदान	लाभार्थी	5	0	0	0	आवेदन प्राप्त होने पर देय है।

कृषि निर्यात संवर्धन

कृषि निर्यात को बढावा देने हेतु कृषि विपणन बोर्ड को राज्य स्तरी नोडल ऐजन्सी बनाया गया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई.)

देश में असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उन्नयन हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) प्रारम्भ की गई है।

योजना के उद्देश्य

योजना के उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों की क्षमता निर्माण करना है ताकि वे :

(i) मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, एफपीओज, स्व–सहायता समूहों एवं सहकारिताओं द्वारा क्रेडिट के लिए पहुंच क्षमता बढाने में सक्षम हो;

(ii) ब्रांडिंग और विपणन को मजबूत बनाकर संगठित आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण कर सकें;

(iii) देश में मौजूदा 2,00,000 उद्यमों का औपचारिक फ्रेमवर्क में अंतरण करने के लिए सहायता दे सके;

(iv) साझा सेवाओं जैसे साझा प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकिंग, विपणन और इन्क्यूवेशन सेवाओं तक पहुंच अधिक हो सके;

(v) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संस्थानों का, अनुसंधान एवं ट्रेनिंग की मजबूती;

(vi) व्यावसायिक एवं तकनीकी सहायता के लिए उद्यमों के पहुंच में वृद्धि।

पी.एम.एफ.एम.ई. योजना के वित्तीय प्रावधान

योजना में 2020–21 से 2024–25 तक की पांच वर्षो की अवधि में 10 हजार करोड रू. के परिव्यय की कल्पना की गई है। योजनान्तर्गत व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 60 : 40 के अनुपात में वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत राज्य में 6638 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सीधे केडिट लिंक्ड सब्सिडी सहायता दी जायेगी। निजी सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को प्रति उद्योग पात्र परियोजना लागत की 35 प्रतिशत की दर से केडिट लिंक्ड पूंजी सबसिडी परन्तु अधिकतम 10.00 लाख रूपये दिये जायेगें। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10 प्रतिशत होना चाहिये और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिये।

खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाएं

योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्यम निम्नलिखित सरकारी स्कीमों के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र होंगें।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** – एसएचजी को प्रारंभिक पूंजी, ट्रेनिंग, हैंड– होल्डिंग सहायता तथा ब्याज सहायता दे रहा है;
- **स्टार्ट–** अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी)– यह एक केंद प्रायोजित योजना और एनआरएलएम का हिस्सा हैं। इसमें 12 प्रतिशत के ब्याज पर व्यक्तिगत उद्यमी के लिए 1 लाख रूपए तक और उद्यमी समूहों के लिए 5 लाख रूपए तक के ऋण के रूप में सामुदायिक उद्यम निधि (सीईएफ) के माध्यम से ग्रामीण स्टार्ट – अप्स को ट्रेनिंग , हैंड– होल्डिंग तथा सहायता द्वारा पूंजी एवं तकनीकी सहायता दी जाती हैं।
- **एमएसएमई** को अधिक ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना 218 – बकाया राशि पर ब्याज सहायता;
- 2 करोड़ रूपए तक के संपार्श्विक मुफ्त ऋण (कोलेटरल फ्री) हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड;
- 10 लाख रूपए तक के ऋण के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना;
- नवोन्मेष, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमशीलता संवर्धन योजना (एएसपीआईआरई)
- ग्रामीण उद्योग पुनरूद्धार निधि योजना (एसएफयूआरटीआई);
- एमएसईज के लिए सार्वजनिक खरीद नीति;
- क्लस्टरों/समूहों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एमओएफपीआई की अन्य स्कीमों जैसे कि बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेजिज, कृषि उत्पादन क्लस्टर तथा कोल्ड चेन आदि के अंतर्गत उपलब्ध लाभों का उपयोग किया जाएगा;
- एसएचजी के कौशल ट्रेनिंग हेतु नियमानुसार पीएमकेवीवाई तथा एनआरएलएम से सहायता ली जाएगी ।
- लघु अवधि के स्थल ट्रेनिंग हेतु, इस उदे्श्य से जरूरत के मुताबिक बनाए गए एनआरएलएम और पीएम एफएमआई योजना से सहायता प्रदान की जाएगी।

कृषक कल्याण कोष का गठन

राज्य के किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने एवं कृषकों के कल्याण की दृष्टि से 16 दिसम्बर, 2019 को अध्यादेश जारी किया जाकर राशि रूपये एक हजार करोड के कोष का गठन किया गया है।

कृषक कल्याण कोष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्यांश प्रीमियम के रूप में फसल बीमा कम्पनियों को पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सा भवनों के निर्माण लिए राशि जारी की गयी ।

निर्माण कार्य

वित्तीय वर्ष 2021–22 आलोच्य माह तक मण्डी यार्डों के भवन निर्माण व रख–रखाव पर **3510.47** लाख रूपये, सड़क निर्माण पर **1906.46** लाख रूपये व डिपोजिट कार्यों पर **6481.58** लाख रूपये व्यय किये गये। इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में माह अक्टूबर, 2021 तक कुल **11898.51** लाख रूपये व्यय किये गये एवं **47.68** किलोमीटर नवीन सड़कों का निर्माण पूर्ण कराया गया।

एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण

राज्य में अब तक सात एग्रो ट्रेड टॉवरों का निर्माण कृषि उपज मण्डी समिति यथा श्रीगंगानगर, कोटा, खैरथल (अलवर), बहरोड (अलवर), निवाई (टोंक), उदयपुर व निम्बाहेडा (चित्तोडगढ) में क्रमशः 1387.00, 1260.68, 708.44, 694.15, 904.89, 1400.00 व 1370.40 लाख रूपये की राशि से स्वीकृत किये गये थे। निम्बाहेड़ा के अतिरिक्त समस्त 6 एग्रो ट्रेड टॉवर का कार्य पूर्ण हो चुका है । इन सभी पर 5414.72 लाख रूपये व्यय किये जा चुके हैं।

दिनांक 17.04.2018 को स्वीकृत नवीनतम एग्रो ट्रेड टॉवर निम्बाहेडा का कार्यादेश जारी किया जाना है। एग्रो ट्रेड टॉवरों में दुकानें, बैंक, रेस्टोरेन्ट, ए.टी.एम. आदि मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।

किसान भवन

किसानों को सस्ती दर पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही कृषि व कृषि विपणन के सम्बन्ध में नवीनतम जानकारियां व प्रशिक्षण देने, कृषि आदानों की एक ही छत के नीचे आपूर्ति के उद्धेश्य से समस्त संभागीय व जिला स्तर पर किसान भवन बनाये गये है। लालकोठ सब्जी मण्डी स्थित जयपुर किसान भवन का संचालन कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके अतिरिक्त सभी किसान भवनों का संचालन कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा किया जा रहा है।

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009

योजना के अंतर्गत कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय एवं गांव से मण्डी तक विक्रय करने व अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5000/– रूपये से 2,00,000/– रूपये तक दी जा रही है।